कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय

काम्पलेक्स (बी) ब्लाक, गौतम नगर, भोपाल-23

क्रमांक/तक./हाईटेक हब/2025-26/2488.. (विस्तृत) भोपाल, दिनांक 29-09-2025

फसल अवशेष / धान स्ट्रॉ सप्लाई चेन स्थापित करने हेतु आवेदनों के आमंत्रण की सूचना (वर्ष 2025-26)

कृषकों को कृषि फसलों हेतु पराली प्रबंधन से संबंधित आधुनिक कृषि उपकरण देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर फसल अवशेष /धान स्ट्रॉ सप्लाई चेन स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तिगत आवदेकों से ''आनलाईन'' आवेदन पत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी की वेबसाईट www.chc.mpdage.org के माध्यम से आमंत्रित किये जा रहे हैं। आवेदकों को अपने आवेदन के साथ धरोहर राशि के रूप में रू. 1.00 लाख के बैंक ड्राफ्ट की फोटो प्रति अपलोड की जानी होगी। बैंक ड्राफ्ट ''संचालक, कृषि अभियांत्रिकी म.प्र. भोपाल'' के नाम से बनाया जाना होगा। ऐसे आवेदक जो चयन उपरांत फसल अवशेष /धान स्ट्रॉ सप्लाई चेन स्थापित करने में असफल होंगे, उनकी **धरोहर राशि राजसात** कर ली जायेगी।

नरवाई जलाने के अत्याधिक घटनाओं से प्रभावित चिन्हांकित जिले (परिशिष्ट-1 अनुसार) फसल अवशेष /धान स्ट्रॉ सप्लाई चेन के प्रकार एवं लक्ष्य –

क्रं.	फसल अवशेष / धान स्ट्रॉ सप्लाई चेन का प्रकार	लक्ष्य				
		सामान्य	अनु.ज.जा.	अनु.ज.	एफपीओ	योग
1	(अ) 200 से 300 किलोग्राम का बेल बनाने वाले बेलर हेतु प्रोजेक्ट की लागत अधिकतम राशि रू. 1.00 करोड़ तक रखी जा सकती है। (ब) 300 किलोग्राम से अधिक का बेल बनाने वाले बेलर हेतु प्रोजेक्ट की लागत अधिकतम राशि रू. 1.50 करोड़ तक रखी जा सकती है। **सीआरएम योजना की गाईडलाईन अनुसार प्रोजेक्ट की लागत का 65 प्रतिशत अनुदान देय होगा।**	09	02	02	02	15

संचालक कृषि अभियांत्रिकी द्वारा उपरोक्त लक्ष्यों में आवश्यतानुसार परिवर्तन कर सकते हैं।

फसल अवशेष /धान स्ट्रॉ सप्लाई चेन हेतु अनिवार्य यंत्र निम्नानुसार लिये जा सकते हैं:-

(i) **फसल अवशेष /धान स्ट्रॉ सप्लाई चेन अंतर्गत मध्यम आकार के बेलर से 200 से 300 किलोग्राम के बेल बनाने का प्रोजेक्ट -** प्रोजेक्ट की लागत एसएमएएम योजनान्तर्गत सीआरएम में प्रावधानित अधिकतम राशि रू. 1.00 करोड़ तक रखी जा सकती है। हितग्राहियों को प्रोजेक्ट की लागत का 65 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 65.00 लाख तक अनुदान राशि देय होगा। प्रोजेक्ट के अंतर्गत निम्न यंत्रों को रखना अनिवार्य होगा।

क्रमांक	यंत्र का नाम	अधिकतम संख्या
1	बेलर (200 से 300 किलोग्राम तक की बेल)	1
2	ट्रेक्टर (60 पी.टी.ओ. एचपी से अधिक)	1
3	ट्रेक्टर (50 पी.टी.ओ.एचपी तक)	4
4	कटर/रोटरी स्लेसर	1
5	रेक	1
6	ट्रॉली	1
7	ट्रेक्टर माउटेंट लोडर (ट्रेक्टर के बिना)	1

(ii) **फसल अवशेष /धान स्ट्रॉ सप्लाई चेन अंतर्गत बडे आकार के बेलर से किलोग्राम 300 से अधिक के बेल बनाने का प्रोजेक्ट** - प्रोजेक्ट की लागत अधिकतम राशि रू. 1.50 करोड़ तक रखी जा सकती है। हितग्राहियों को प्रोजेक्ट की लागत का 65 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 97.50 लाख तक अनुदान राशि देय होगा। प्रोजेक्ट के अंतर्गत निम्न यंत्रों को रखना अनिवार्य होगा।

क्रमांक	यंत्र का नाम	अधिकतम संख्या
1	बेलर (300 किलोग्राम से अधिक की बेल)	1
2	ट्रेक्टर (75 पी.टी.ओ.एचपी से अधिक)	1
3	ट्रेक्टर (50 पी.टी.ओ. एचपी तक)	4
4	कटर/रोटरी स्लेसर	1
5	रेक	1
6	ट्रॉली	1
7	ट्रेक्टर माउटेंट लोडर (ट्रेक्टर के बिना)	1

उपरोक्त प्रोजेक्ट के साथ फसल अवशेष/धान स्ट्रा सप्लाई चेन केन्द्र के कार्यक्षेत्र, क्रियान्वयन की रूपरेखा, लाभान्वित होने वाले कृषकों की अनुमानित जानकारी आदि भी प्रस्तुत की जाना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त प्रोजेक्टों अंतर्गत अनुदान की गणना सी.आर.एम. योजना में प्रदत्त दिशा-निर्देशानुसार प्रत्येक यंत्र हेतु दिये गये प्रावधान अनुसार अधिकतम सीमा तक की जावेगी। इसके साथ ही हितग्राही भारत सरकार के ''एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड'' (ए.आई.एफ.) अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के भी पात्र होंगे।

सामान्य शर्तें एवं पात्रता–

1. फसल अवशेष /धान स्ट्रा सप्लाई चेन यंत्रीकरण यूनिट को अपनी स्वेच्छानुसार निम्नलिखित दो विकल्पों में से एक का चयन कर केन्द्र को स्थापित किया जा सकता है:-

   (i) हितग्राही एवं औद्योगिक (इण्डस्ट्रीज) के मध्य यदि द्विपक्षीय अनुबंध किया जाता है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में निम्नानुसार प्रोजेक्ट् की लागत का वितरण किया जायेगा:-

क्रमांक	केन्द्र की लागत में अंशधारी	लागत के अंश का विवरण
1	हितग्राही/एफ.पी.ओ.	न्यूनतम 10 प्रतिशत
2	औद्योगिक (इण्डस्ट्रीज)	लागत का शेष भाग

(ii) हितग्राही एवं औद्योगिक (इण्डस्ट्रीज) के मध्य यदि द्विपक्षीय अनुबंध नही किया जाता है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में निम्नानुसार प्रोजेक्ट्स की लागत का वितरण किया जायेगा:-

क्रमांक	केन्द्र की लागत में अंशधारी	लागत के अंश का विवरण
1	हितग्राही/एफ.पी.ओ.	संपूर्ण लागत

2. इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदकों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाटरी के माध्यम से प्राथमिकता क्रम का निर्धारण किया जायेगा। प्राथमिकता क्रम सूची में से लक्ष्य अनुसार आवेदकों का चयन कर लाभ प्रदाय किया जायेगा।
3. चयनित आवेदकों द्वारा प्रोजेक्ट संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री के कार्यालय (सूची संलग्न) में प्रस्तुत करना होगा। प्रोजेक्ट की विषयवस्तु तथा क्रियान्वयन का अवलोकन संचालनालय की समिति के द्वारा किया जाकर अंतिम निर्णय लिया जावेगा। कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रोजेक्ट का परीक्षण कर यह देखा जायेगा कि

आवेदक ने प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रस्तुत किया है अर्थात् आवेदक द्वारा पंजीकृत निर्माताओं से पंजीकृत सामग्री का क्रय संचालनालय के डीबीटी पोर्टल पर निर्धारित दरों के अधीन ही किया जा रहा है। प्रोजेक्ट उपयुक्त पाये जाने पर संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रोजेक्ट का आवेदन एआईएफ अंतर्गत आवेदक से प्रस्तुत करवाना होगा।(ए.आई.एफ.)की सुविधा वर्ष 2025-26 के प्रकरण हेतु ही है) ए.आई.एफ. से सहमति प्राप्त होने पर भविष्य में उन्हें अनुदान की पात्रता संचालनालय की योजनाओं के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार बैक एण्डेड सबसिडी के रूप में होगी। संबंधित आवेदक को यह भी स्पष्ट रूप से अवगत कराना होगा कि आवंटन के अभाव में अनुदान राशि के आहरण में विलंब हो सकता है।

4. फसल अवशेष /धान स्ट्रा सप्लाई चेन के अंतर्गत प्राप्त प्रोजेक्टों का परीक्षण संचालनालय स्तर पर गठित तकनीकी समिति द्वारा संभागीय कृषि यंत्री की अनुशंसा के उपरांत किया जायेगा एवं उपयुक्त प्रोजेक्टों में अनुमति प्रदान की जायेगी।
5. एआईएफ के माध्यम से स्वीकृति के उपरांत आवेदक का प्रोजेक्ट ऋण स्वीकृति हेतु बैंकों को सीधे कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा अग्रेषित किया जाएगा। बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति उपरांत हितग्राही द्वारा केन्द्र की स्थापना की जाएगी।
6. फसल अवशेष/धान स्ट्रा सप्लाई चेन स्थापना उपरांत बैंक द्वारा संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री से अनुदान राशि की मांग की जाएगी। कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा केन्द्र का भौतिक सत्यापन संयुक्त रूप से बैंक अधिकारी एवं सहायक कृषि यंत्री से कराया जाएगा। भौतिक सत्यापन में उपयुक्त पाये गये आवेदनों पर नियमानुसार अनुदान की राशि संबंधित बैंक को बैक एण्डेड सबसिडी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
7. मध्यप्रदेश के मूल निवासी ही योजनांतर्गत पात्र होंगे।
8. फसल अवशेष/धान स्ट्रा सप्लाई चेन की स्थापना सीबीजी प्लान्ट के कार्यक्षेत्र में ही की जावे जिससे संबंधित जिले की पराली, प्लान्ट को सुलभता से उपलब्ध हो सके।
9. फसल अवशेष/धान स्ट्रा सप्लाई चेन की स्थापना हेतु हितग्राही को अनुदान राशि केवल मशीनों/यंत्रों की लागत के आधार पर देय होगी।
10. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में सेवारत व्यक्ति तथा शासकीय योजनाओं की सहायता से स्व-रोजगार स्थापित किये आवेदक एवं पूर्व में इस योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त आवेदक आवेदन नही कर सकेंगें अर्थात् योजना के लिये पात्र नहीं होंगें।
11. जिन जिलों में पूर्व वर्षो में फसल अवशेष/धान स्ट्रा सप्लाई चेन केन्द्र की स्थापना हो चुकी है, ऐसे जिलों के उन विकासखण्डों के आवेदकों को केन्द्र स्थापित करने हेतु अवसर प्रदाय नहीं किया जायेगा। इसका परीक्षण दस्तावेज सत्यापन के दौरान कृषि यंत्री/ कार्यपालन यंत्री द्वारा किया जायेगा।
12. फसल अवशेष/धान स्ट्रा सप्लाई चेन के लक्ष्य जिले (सूची परिशिष्ट-1 में संलग्न है) में अधिकतम 2 एवं इन जिलों के अंतर्गत विकासखंड में अधिकतम 01 ही रखे जावेगें।
13. आवेदकों का चयन पृथक पृथक श्रेणी (सामान्य, अ.जा., अ.ज.जा., एफपीओ) से एक ही विकासखण्ड से होने की स्थिति में संबंधित आवेदकों के चयन हेतु पृथक से लॉटरी की जावेगी।
14. फसल अवशेष /धान स्ट्रा सप्लाई चेन के प्रोजक्ट में यह ध्यान रखा जाए कि उस जिले (परिशिष्ट-1 अनुसार) में धान की फसल होती है एवं फसल अवशेषों(नरवाई) में आग लागाई जाती है।
15. आवेदक जिस जिले (परिशिष्ट-1 अनुसार) में फसल अवशेष /धान स्ट्रा सप्लाई चेन स्थापित करना चाहता है उसी जिले (परिशिष्ट-1 अनुसार) की बैंक शाखा है से अपना प्रकरण स्वीकृत कराना होगा।
16. एक परिवार में एक ही हाइटेक हब/ धान स्ट्रा सप्लाई चेन/कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किये जाने की पात्रता होगी। अन्य योजनाओं अंतर्गत स्थापित हाइटेक हब/ धान स्ट्रा सप्लाई चेन/कस्टम हायरिंग केन्द्र को भी इस योजना के अंतर्गत केंन्द्र आवंटन के समय ध्यान में रखा जावेगा।
17. आवेदक मध्य प्रदेश के जिस जिले का निवासी है,उसी जिले (परिशिष्ट-1 अनुसार) से ही आवेदन करना आवश्यक है।

18. आवेदक को अपनी स्वेच्छानुसार बैंक चुनने की स्वतंत्रता है।

एफपीओ के लिये निर्धारित पात्रता के लिए मापदंड (कृषि मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2020 में जारी की गयी एफपीओ निर्माण एवं प्रोत्साहन आपरेशनल गाइडलाइन अनुसार) :-

1. एफ.पी.ओ. मध्यप्रदेश में पंजीकृत होना चाहिये। साथ ही भारत सरकार की गाइड लाइन अनुसार सस्था का पंजीयन कंपनी अधिनियम सेक्शन 9ए अथवा तदानुसार नवीन अथवा संसोधित अधिनियम 2013 के अन्तर्गत उत्पादक कंपनी के रूप में अथवा राज्य की सहकारिता अधिनियम में होना अनिवार्य है। कंपनी की दशा में संस्था के नाम के अंत में. उत्पादक कपनी' लिखा होना अनिवार्य है।
2. मार्गदर्शी निर्देशानुसार एफपीओ के कुल सदस्यो में से 50% लघु एवं सीमान्त एवं भूमिहीन बटाई वाले किसान होना आवश्यक है। किसानों की सूची जमा करनी होगी जिसमें किसान का नाम, खसरा नंबर, आधार नंबर, खरीदे गये अंश की संख्या, कुल जमा राशि (न्यूनतम 500 रु. होना सही होगा)
3. किसी भी एक सदस्य अथवा बी.ओ.डी के पास एफ.पी.ओ की कुल अंश पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए इसका सीए प्रमाणित प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
4. विगत 2 वर्षो में लाभप्रद एवं न्यूनतम 300 किसान सदस्य आवश्यक है। एफ.पी.ओ. का आवेदन उनके पंजीयन प्रमाण-पत्र में उल्लेखित जिले हेतु मान्य होगा।

<u>कार्यक्रम अंतर्गत समय सीमायें निम्नानुसार है–</u>

1	आवेदन करने की अवधि	दिनांक 30 सितम्बर 2025 से 10 अक्टूबर 2025 तक प्रस्तुत किये जा सकेंगें।
2.	जिलेवार आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अवधि	दिनांक 11 से 13 अक्टूबर 2025 तक प्रातः 10:30 से सायं 5:30 तक संबंधित संभागीय कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालयों में अभिलेखों का सत्यापन एवं प्रोजेक्टों का अवलोकन किया जायेगा।
3.	कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी पद्धति से जिलेवार प्राथमिकता सूचियों का निर्धारण	दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12.00 बजे संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल में कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी की जायेगी। (लॉटरी से जिलेवार निर्धारित की गई प्राथमिकता सूचियां संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org पर 14 अक्टूबर 2025 को शाम 4.00 बजे से देखी जा सकेंगी।)

जिलों से संबंधित संभागीय कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालयों के विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	आवेदन का जिला	संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय का पता तथा दूरभाष क्रंमाक
1	भोपाल, सीहोर, रायसेन एवं नर्मदापुरम् जिले हेतु।	संभागीय कृषि यंत्री, नई जेल रोड, ग्राम-बड़वई भोपाल, दूरभाष - 0755-2736200
2	रीवा एवं सतना जिले हेतु।	संभागीय कृषि यंत्री, सिविल लाईन, पन्ना रोड़ सतना, दूरभाष - 07672-222223
3	जबलपुर जिले हेतु।	संभागीय कृषि यंत्री, संजय नगर, आधारताल, जबलपुर, दूरभाष -0761-2680928
4	गुना एवं मुरैना जिले हेतु।	संभागीय कृषि यंत्री, मेला ग्राउंड के सामने, रेस कोर्स रोड़, ग्वालियर, दूरभाष - 0751-2364595

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

परिशिष्ट- 1

वर्ष 2025- 26 हेतु फसल अवशेष / धान स्ट्रॉ सप्लाई चेन स्थापना के जिलेवार लक्ष्य

<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>जिला</th><th>सामान्य</th><th>अनसूचित जनजाति</th><th>अनुसूचित जाति</th><th>एफपीओ</th><th>योग</th></tr>
<tr><td>1</td><td>भोपाल</td><td rowspan="9">9</td><td rowspan="9">2</td><td rowspan="9">2</td><td rowspan="9">2</td><td rowspan="9">15</td></tr>
<tr><td>2</td><td>सीहोर</td></tr>
<tr><td>3</td><td>रायसेन</td></tr>
<tr><td>4</td><td>नर्मदापुरम्</td></tr>
<tr><td>5</td><td>जबलपुर</td></tr>
<tr><td>6</td><td>मुरैना</td></tr>
<tr><td>7</td><td>रीवा</td></tr>
<tr><td>8</td><td>सतना</td></tr>
<tr><td>9</td><td>गुना</td></tr>
</table>

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
मध्यप्रदेश भोपाल